तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मियाद प्रार्थना पत्र संख्याः 55 / 2022	
18–2–2026	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। प्रकरण में धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी अपीलार्थी के वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार, सिरोही द्वारा जारी संपरिवर्तन आदेश दिनांक 15–7–2022 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन कर अपील को अन्दर मियाद लिये जाने का अनुरोध किया। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 (एक) के वकील ने यह व्यक्त किया कि तहसीलदार, सिरोही द्वारा जारी उक्त संपरिवर्तन आदेश की अपीलार्थी को प्रारम्भ से ही भंलीभांति जानकारी है। इससे पूर्व भूमि का बंटवाडा हुआ है उसकी भी जानकारी अपीलार्थी को प्रारम्भ से है, लेकिन उसके बावजूद भी अपीलार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 (एक) को हैरान परेशान करने की नियत से जान बूझकर विलम्ब से अपील प्रस्तुत की है। अतः प्रार्थी अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम को खारिज किया जावे। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रार्थी अपीलार्थी चुनीबाई पत्नि ओटाराम जी पुत्री शिवराम जी, जाति– पुरोहित, निवासी– तंवरी ने यह प्रार्थना पत्र, तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) के पक्ष में जारी संपरिवर्तन आदेश क्रमांक:LC/2022-23/128148 दिनांक 15–7–2022 के विरुद्ध अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने से विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है। प्रकरण में अप्रार्थी पक्ष की ओर से ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही हुई है जिससे यह साबित हो सके कि अपीलार्थी को उक्त संपरिवर्तन आदेश के संबंध में पूर्व से ही जानकारी हो। यह भी उल्लेखनीय है कि मियाद की अवधि जानकारी तिथि से लागू होती है, न कि आदेश की तारीख से। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, सिरोही द्वारा जारी उक्त संपरिवर्तन आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो तथा मूल अपील के साथ नत्थी हो। निर्णय सुनाया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही	